

शेक्रे

श्रीमान् चंद्रबहादुर आधिकावरी महोदय
जिल्हा शिक्षण अधिकारी (शेक्रे)

भारतीय रोग विचार-2025
राज्य स्तरीय परीक्षा, जिल्हा शिक्षण परीक्षा
प्राथमिक शिक्षण विभाग, अहमदाबाद

विषय - सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के प्रस्ताव में।

प्रतिनाम पत्र अंतर्गत एन.आर. एन.टी. 1985 की धारा 13B

अनवार श्री नायबख्त खातून पिता/पति श्री यनाय
बनाम

राज्य सरकार जिरिये तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवार में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री नायबख्त खातून पिता/पति
यनाय निवासी मेमनपुरा का/की हूँ/हैं।

मैं/हमारे पटवार हल्का मेमनपुरा के राजस्व ग्राम मेमनपुरा में खाता संख्या 734
जिन्दा 03 रकबा 0.89 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम नायब दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में नायबख्त खातून दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम जाति - जिल्हा के बजाय नायबख्त खातून दर्ज करवाने की कृपा
करावे। यनाय जाति - जिल्हा

दिनांक 11/10/2025



प्राथी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का मेमनपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री नायब खातून पिता/पति यनाय निवासी
मेमनपुरा राजस्व ग्राम मेमनपुरा पटवारी हल्का मेमनपुरा की जमाबन्दी
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में नायबख्त खातून दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

जाति - जिल्हा / नायबख्त खातून उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू.अ.नि. अक्षय
अ.र.
11/10/25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

दिनांक-11/10/2025

क्रमांक-भू.अ./2025/11

पेषिति

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय

निवेदन हे. कि. प्राणी/प्राणीयान श्री. नाशन जाति पिता/पत्नि जाय निवासी मेमनपुरा पटवार हल्का मेमनपुरा के राजस्व ग्राम मेमनपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 234 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम नाशन जाति किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम नाशन जाति का जंका राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जाति जाति

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

41
11/10/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसीलदार (भू.अ.)
जिला चित्तौडगढ (राज.)
चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/98

दिनांक-31/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का मेमनपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री. नाशन जाति पिता/पत्नि जाय राजस्व ग्राम मेमनपुरा पटवार हल्का मेमनपुरा की खाता संख्या 234 में जाति/नाम नाशन जाति दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री. नाशन जाति पिता/पत्नि जाय की जाति/नाम नाशन जाति एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का मेमनपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।